

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
एनओएसओ प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
जाखील, तहसीर
बुलन्दशहर।

पत्रांक 5035/टी-3/रा0प0/110स0संस्तुति

लखनऊ दिनांक :

21-8-2012

विषय- स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औ0प्र0 केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17-5-2012 पर दिनांक 28-06-2012 को महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उपर निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्र० सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	SCIR-17/5/12 W.c.f. Aug 2012
2-	Fitter 04(2+2)	04(2+2)	04(2+2)	
DGET-6/24/65/2012-TC DATED 28/06/2012				

प्रयोग किये गये संकेत:-

1. एनओएसओ-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
2. एनओएसओ-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
3. डी0जी0ई0टी0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
4. यू0सी0-विचारार्थीन
5. एनओएसओ-संस्तुति नहीं किया गया।
6. एनओसी0-विचार नहीं किया गया।

2. - आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बसाई गई कमियों/चुटियों का निराकरण समयावधि में करके अपनी आस्था बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि अंतिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अनाम्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिससे पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)

पत्रांक / टी-3/रा0प0/110स0संस्तुति/

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित दो सूदनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण) केरल को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ज फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

(सहिल देव)

अपर निदेशक (प्रशिक्षण/शिक्षण)